

दिनांक 13.09.2023 को निदेशक, कृषि, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, कृषि भवन, पटना में रबी महाभियान—2023 कार्यक्रम की तैयारी के ऊपर विचार—विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही—

उपस्थिति— अलग से पंजी में संधारित।

1 रबी महाभियान—2023 एवं किसान चौपाल कार्यक्रम के आयोजन हेतु लिये गये निर्णय निम्नवत है—

- 1.1 कार्यक्रम का नाम 'रबी महाभियान 2023' रखने का निर्णय लिया गया।
- 1.2 कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर कर्मशाला/प्रशिक्षण—सह उपादान वितरण एवं LED VAN के माध्यम से प्रचार—प्रसार एवं पंचायत स्तर पर किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने का निर्णय लिया गया।
- 1.3 रबी महाभियान 2023 के संबंध में आम जानकारी हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराये जाने का निर्णय लिया गया।
- 1.4 रबी महाभियान 2023 के सफल आयोजन हेतु राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए तिथि निर्धारित की गई, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार से है—

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	आयोजन स्थल	कार्यक्रम का उद्देश्य
1.	रबी महाभियान— 2023 अंतर्गत राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन	20—21 सितम्बर, 2023	बामेती, पटना	योजनावार, जिलावार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारी एवं रणनीति तथा प्रसार पदाधिकारियों का क्षमतावर्द्धन।
2.	रबी महाभियान 2023 का शुभारंभ एवं एल0ई0डी0 युक्त महाभियान रथों को हरी झण्डी दिखाकर जिलों के लिए प्रस्थान	13 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) का 11.00 बजे पूर्वाह्न	01 अपै मार्ग, पटना	विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/महाभियान के संबंध में कृषक एवं आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराना।
3.	जिला स्तरीय रबी कर्मशाला— सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	14 अक्टूबर, 2023 (शनिवार) को 10.00 बजे पूर्वाह्न	सभी जिला मुख्यालय	रबी मौसम की खेती एवं अन्य कृषि कार्य के लिए जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों/प्रसार कर्मियों एवं स्टेक होल्डर्स का विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं उनके लक्ष्य की जानकारी एवं प्रशिक्षण
4.	(क) प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह— उपादान वितरण कार्यक्रम (ख) प्रखंडों में LED VAN के माध्यम से प्रचार—प्रसार	16 अक्टूबर से 04 नवम्बर, 2023 को 10.00 बजे पूर्वाह्न	सभी प्रखंड मुख्यालय	विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभार्थी किसानों सहित अन्य किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं चयनित किसानों के बीच अनुदान पर उपादान का वितरण।

8

5.	राज्य के सभी जिले में प्रत्येक प्रखण्ड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन	10 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2023 को 10.00 बजे पूर्वाह्न	पंचायत स्तर पर (दो ग्राम पंचायत प्रतिदिन)	कृषि एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्र में चलायी जा रही महत्वकांक्षी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ विभिन्न फसलों के उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी जाँच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, समय से फसल की बुवाई, फफुँदनाशी एवं कीटनाशी से बीजोपचार, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन, जलवायु अनुकूल कृषि कार्य, फसल विविधिकरण जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा उद्यानिक फसलों का प्रबंधन आदि के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराना।
----	--	--	---	---

नोट –जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संबंधित जिला पदाधिकारी की सहमति / स्वीकृति से की जा सकती है।

2 बैठक में रबी महाभियान–2023 अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन अनुदेश पर सहमती दी गई जो निम्न प्रकार से है—

- विगत 03 वर्षों में भाग लेने वाले किसानों से भिन्न किसानों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों (नवाचार/प्रगतिशील) को ही कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए।
 - कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के राज्य नोडल/प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बीज एवं अन्य उपादानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
3. रबी उत्पादन कार्यक्रम 2023 को सफल बनाने हेतु कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार पटना मुख्यालय से LED युक्त वाहन एवं तकनीकी बुलेटिनों से युक्त कृषि प्रचार रथों के माध्यम से कराया जाएगा। यह वाहन जिलों एवं प्रखण्डों में भी कृषि विभाग के कार्यक्रमों को प्रचारित करेगी।
- 3.1 LED युक्त प्रचार वाहन रथों के माध्यम से जिलों में प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु एजेन्सी से कार्य लेने एवं चयन करने के लिए निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण करने वाले एजेंसी से कार्य कराया जाएगा।

8

3.2 रबी महाभियान 2023 में LED युक्त प्रचार वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराने हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सूचीबद्ध किए गए एजेंसी एवं निर्धारित दर की प्रति बामेती कार्यालय, पटना को उपलब्ध कराया गया है जिसके आलोक में निदेशक, कृषि, बिहार के अध्यक्षता में एजेंसी के चयन हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति का स्वरूप निम्न प्रकार से है:-

- | | | | |
|------|--|---|------------|
| i. | अपर निदेशक(शष्य), कृषि विभाग, बिहार | - | सदस्य |
| ii. | आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार | - | सदस्य |
| iii. | संयुक्त निदेशक प्रशासन | - | सदस्य |
| iv. | निदेशक, बसोका | - | सदस्य |
| v. | निदेशक, बामेती | - | सदस्य सचिव |

3.3 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के द्वारा सूचीबद्धता के आधार पर प्रचार वाहन का मानक रखा गया है जो निम्न प्रकार से है:-

- i. पिक अप वैन या समतुल्य
- ii. P-6 (अथवा उससे कम) LED Outdoor Display 6 feet×4 feet
- iii. 100w Sound System (Amplifier 01, CD player or processor 01, Cordless Mike)
- iv. 2-3 केंद्रीयों का ध्वनि रहित जेनरेटर
- v. 01 वाहन चालक, 01 टेक्नीशियन
- vi. चारों तरफ से सुसज्जित फ्लैक्स फ्रेम
- vii. प्रचार वाहन जी०पी०एस० युक्त
- viii. कार्यक्रम का जियो टैग फोटोग्राफ मोबाइल एप के साथ
- ix. कार्यक्रम का विडियो रिकॉर्डिंग
- x. प्रतिदिन 03 कार्यक्रमों को चिन्हित स्थानों पर किया जायेगा
- xi. संबंधित एजेंसी के पास LED युक्त प्रचार रथ उपर्युक्त मापदण्ड पूर्ण करते हों

3.4 उपर्युक्त प्रचार वाहन के मानक के अनुसार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के सूचीबद्ध एजेंसियों में जो इच्छुक एवं उपर्युक्त मापदण्ड को पूर्ण करते हैं वैसे एजेंसियों को आमंत्रित किया जायेगा।

3.5 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के सूचीबद्ध एजेंसियों में जो इच्छुक एवं उपर्युक्त मापदण्ड को पूर्ण करने वाले एजेंसियों के द्वारा बामेती कार्यालय, पटना को निर्धारित तिथि में आवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

4. प्रत्येक जिला एवं प्रखण्ड में रबी महाभियान-2023 में LED युक्त प्रचार रथों को घुमाया जाएगा जिसका व्यय परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जाएगा।
5. सभी परियोजना निदेशक, आत्मा LED युक्त प्रचार रथों के भ्रमण हेतु तिथि एवं रूट चार्ट पूर्व से ही तैयार कर लेंगे एवं तदनुसार LED युक्त प्रचार रथों का भ्रमण सुनिश्चित करेंगे।
6. रबी किसान चौपाल 2023 के कार्यक्रम प्रत्येक प्रखण्ड अंतर्गत प्रतिदिन दो ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा।

7. रबी महाभियान—2023 के सफल कार्यन्वयन हेतु राज्य मुख्यालय स्तर से जिलावार पदाधिकारी को नामित करने एवं जिला में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कराये जाने हेतु राज्य स्तर से पदाधिकारी को नामित किया गया है जो निम्न प्रकार से है—

क्र०सं०	जिला के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जिला का नाम
1	2	3
1	श्री डी०पी० त्रिपाठी, अपरनिदेशक (शाष्य)–सह–निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार	पश्चिम चम्पारण
2	श्री शंकर कुमार चौधरी, निदेशक, बसोका,	गया
3	श्री सुनील कुमार पंकज, संयुक्त निदेशक (सांचियकी), बिहार	कटिहार
4	श्री बैंकटेश नारायण सिंह, निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना	औरंगाबाद
5	श्री आभांशु सी० जैन, निदेशक, बामेती, बिहार, पटना	पटना
6	श्री समीर कुमार, संयुक्त निदेशक (शाष्य), उपादान, बिहार	समस्तीपुर
7	श्री राधा रमन, संयुक्त निदेशक, उद्यान, बिहार	भागलपुर
8	श्री संजय नाथ तिवारी, संयुक्त निदेशक (शाष्य) प्रसार, बिहार	गोपालगंज
9	श्री सनत कुमार जयपुरियार, उप निदेशक (शाष्य)	सुपौल
10	श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार	सीतामढ़ी
11	श्रीमती रजनी सिन्हा, सहायक निदेशक (शाष्य), पी०पी०एम०	नवादा
12	श्री कृष्णकांत झा, संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच, बिहार	सारण
13	डॉ० प्रमोद कुमार, संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार	रोहतास
14	श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त निदेशक (शाष्य), मुख्यालय	सहरसा
15	श्री संतोष कुमार उत्तम, संयुक्त निदेशक (शाष्य), पी०पी०एम०	नालंदा
16	श्री भरत प्रताप सिंह, उप निदेशक (शाष्य),	मधुबनी
17	श्री अशोक कुमार, उप निदेशक (शाष्य) मुख्यालय	जमूई
18	श्री मनोज कुमार, उप निदेशक (शाष्य), बीज, बिहार, पटना	बक्सर
19	श्री शंकर कुमार झा, उप निदेशक (शाष्य), जूट एवं बीज विश्लेषण	मधेपुरा
20	श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, उप निदेशक (शाष्य), पी०पी०एम०	पूर्वी चम्पारण
21	डॉ० राजेश कुमार शर्मा, उप निदेशक (शाष्य), मूल्यांकन	शिवहर
22	श्री सुशील कुमार, उप निदेशक (सांचियकी)	कैमूर (भभूआ)
23	मो० ईस्माइल, उप निदेशक (पौधा संरक्षण), मुख्यालय	मुजफ्फरपुर
24	डॉ० राजेश कुमार, उप निदेशक (शाष्य), सूचना	खगड़िया
25	श्री बिजेन्द्र चौधरी, संयुक्त निदेशक (रसायन) बायोगैस एवं कम्पोस्ट	भोजपुर
26	डॉ० प्रमोद कुमार मिश्रा, स्टेट कोऑर्डिनेटर, बामेती, पटना	बेगुसराय
27	श्री शशि शेखर मंडल, उप निदेशक (शाष्य)	शेखपुरा
28	श्री संजय कुमार, उप निदेशक (शाष्य), पी०पी०एम०	सिवान
29	डॉ० राकेश कुमार, उप निदेशक उद्यान	अररिया
30	श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (प्रशासन–सह–मूल्यांकन), उद्यान, बिहार	किशनगंज
31	श्री विनय कुमार पाण्डे, उप निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला	पूर्णिया
32	श्री देवनारायण महतो, उप निदेशक (उद्यान)	बांका
33	श्री नीरज कुमार, उप निदेशक (पौधा संरक्षण), बामेती, बिहार	वैशाली
34	श्री नीतेश राय, उप निदेशक (उद्यान) योजना	दरभंगा
35	श्री देवनाथ प्रसाद, उप निदेशक (पौधा संरक्षण) मुख्यालय	मुगेर
36	श्री रामकुमार, सहायक निदेशक (शाष्य), बीज, बिहार, पटना।	लखीसराय
37	श्री अजय कुमार झा, सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण,	अरवल
38	श्री विनय कुमार शुक्ला, सहायक निदेशक उद्यान	जहानाबाद

8. रबी 2023 में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु रबी की कार्ययोजना एवं कार्यावली पर निर्णय निम्न प्रकार है—

- 8.1 बासेटी परिसर, पटना में कृषि विभाग के पदाधिकारियों एवं प्रसार कर्मियों/कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों/उपादान बिक्रेताओं/प्रगतिशील किसानों के तकनीकी क्षमतावर्द्धन तथा वर्तमान रबी मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए संयुक्त सुझाव प्राप्त करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण—सह—कर्मशाला के आयोजन एवं कृषि पदाधिकारियों/कृषि वैज्ञानिकों/प्रसार कर्मियों/उपादान बिक्रेताओं/प्रगतिशील किसानों आदि से प्राप्त सुझाव के आलोक में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिलावार/कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण, प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारी, क्षमता के विकास हेतु राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2023 का आयोजन रबी महाभियान 2023 के शुभारंभ होने के तिथि से एक दिन पहले आयोजन करने का निर्णय लिया गया।
- 8.2 रबी मौसम की खेती एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों तथा प्रसार कर्मियों का प्रशासनिक दायित्वों एवं तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय कर्मशाला के आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण किया गया।
- 8.3 कृषि उत्पादन कार्यक्रम 2023 को सफल बनाने हेतु कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार—प्रसार के लिए पटना मुख्यालय से LED युक्त वाहन एवं तकनीकी बुलेटिनों से युक्त कृषि प्रचार रथों के लिए प्रतिष्ठानों के साथ विचार—विमर्श एवं प्रक्रियाएँ अपनायी जाने तथा जिलों में रवाना किए जाने की तिथि का निर्धारण किया गया।
- 8.4 प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण शिविर के आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण किया गया है।
- 9 रबी 2023 कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निम्नलिखित प्रमुख आयाम होंगे—
- 9.1 सभी स्तरों पर चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 9.2 फसल विविधिकरण पर विशेष बल दिया जाएगा।
- 9.3 मक्का, दलहन एवं तेलहन की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- 9.4 सी०एफ०एम०एस०/पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बीच अनुदान का वितरण।
- 9.5 किसानों के बीच प्रखंडों में उपादान अनुदान का वितरण।
- 9.6 जिरो—टिलेज/सीड—झील मशीनों से गेहूँ की बुवाई
- 9.7 मौसम के बदलते परिवेश में गेहूँ/दलहन/तेलहन की पंक्ति में बुवाई
- 9.8 आत्मा योजना अन्तर्गत प्रचार प्रसार तथा परिभ्रमण/प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 9.9 कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह
- 9.10 किसान सेवा प्रदाता कार्यक्रम

9.11 किसान पाठशाला/प्रशिक्षण/परिभ्रमण/प्रक्षेत्र दिवस/गोष्ठी का आयोजन

9.12 किसान चौपाल का आयोजन

9.13 कृषक उत्पादक संगठन का गठन

9.14 अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण

9.15 फसल अवशेष प्रबंधन के लिये कृषि यंत्र के कस्टम हाईरिंग सेन्टर की स्थापना

9.16 ड्रोन मशीनों से कृषि कार्य में उपयोगिता

9.17 जैविक खेती/प्राकृतिक खेती

9.18 जैविक कोरिडोर अंतर्गत जैविक खेती

9.19 जैविक प्रमाणन

9.20 भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम

9.21 मिट्टी जाँच के लिये नमूना संग्रह एवं मृदा जाँच कार्यक्रम

9.22 किसान क्रेडिट कार्ड का कार्यक्रम

9.23 उर्वक/कीटनाशी/जैव कीटनाशी से संबंधित कार्यक्रम

9.24 रबी मौसम में लगाये जाने वाले उद्यानिक फसलों का कार्यक्रम

9.25 समेकित कृषि प्रणाली

9.26 सूक्ष्म सिंचाई पद्धति—झीप एवं स्प्रिकलर से सिंचाई का कार्य

9.27 कृषि स्टार्टप से संबंधित जानकारी

9.28 मधुमक्खीपालन के क्षेत्र में बढ़ावा एवं उनके उत्पाद से संबंधित कार्यक्रम

10. रबी उत्पादन कार्यक्रम 2023 तथा सोनपुर मेला 2023 को सफल बनाने एवं कृषि कार्यक्रमों की तकनीकी जानकारी तथा प्रचार-प्रसार के लिए रबी मौसम में फसलों के उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित रंगीन तकनीकी बुलेटिन मुद्रित कराने का निर्णय लिया गया

- कृषि विभाग में कार्यान्वित सभी योजनाओं की एक समेकित पुस्तिका
- मृदा स्वारस्थ्य प्रबंधन
- खेती के आधुनिक कृषि यंत्र का व्यवहार, रखरखाव, उपयोगिता एवं अनुदान दर की जानकारी
- धान्य फसलों की वैज्ञानिक खेती (जीरो टिलेज से गेहूँ जौ, एवं मक्का)

- दलहन की वैज्ञानिक खेती (चना, मटर, मसूर, राजमा)
 - तेलहन की वैज्ञानिक खेती (राई, सरसों एवं तोरी तथा तीसी)
 - सब्जी उत्पादन (आलू, टमाटर, ब्रोकली, शिमला मीर्च, मूली, गाजर एवं चुकंदर)
 - फल उत्पादन (स्ट्राबेरी एवं पपीता)
 - पुष्प उत्पादन (गेंदा, ग्लूडलस, एवं जरवेरा)
 - जल—जीवन – हरियाली
 - समेकित कीट प्रबंधन
 - जैविक / प्राकृतिक खेती
 - मोटे (Millets) अनाज की खेती
 - जलवायु अनुकुल कृषि
- उपरोक्त विषयों के नोडल / प्रभारी पदाधिकारी पम्फलेट / फोल्डर हेतु समाग्री एवं संबंधित फोटो उप निदेशक(शाष्य) सूचना बिहार पटना को उपलब्ध करायेंगे। उप निदेशक(शाष्य) सूचना बिहार एवं निदेशक बामेती इसको समय मुद्रण करायेंगे।

11. विभिन्न रबी फसलों की तकनीकी खेती से संबंधित आलेख (write up) [हिन्दी में kruti dev 010 तथा PDF दोनों] के साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। डा० आर० एन० सिंह, सह निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय समन्वय स्थापित कर इसे उप निदेशक (शाष्य) सूचना को उपलब्ध करायेंगे।
12. प्राप्त सभी पम्फलेट / फोल्डर की समाग्री एवं एल०ई०डी० प्रचार वाहन पर चलनेवाली फिल्मस् का पुनरीक्षण हेतु एक कमिटी गठित की जायेगी, इस कमिटी का गठन उप निदेशक (शाष्य) सूचना के द्वारा निदेशक कृषि के अनुमोदन से किया जायेगा।
13. कार्यक्रम का उद्देश्य –
- 13.1. गेहूँ का उत्पादन एवं उसकी उत्पादकता को बढ़ाने हेतु पंकित में ही गेहूँ लगाने, समय से बुवाई, सिंचाई जल प्रबंधन के साथ-साथ जीरो टिलेज एवं सीड ड्रिल के उपयोग का व्यापक प्रचार-प्रसार इस महाभियान के माध्यम से किया जाएगा।
- 13.2. कृषि विभाग द्वारा राज्य में विशेषकर तेलहन एवं दलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को लाभांवित कराये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए प्रचार प्रसार किया जायेगा।
- 13.3. तेलहन, दलहन फसलों में कीट-व्याधि के प्रकोप को कम करने हेतु बिजोपचार अनीर्वाय रूप से कराया जाय।
- 13.4. अनुशंसित बीजों की उपलब्धता के साथ-साथ किसानों को रबी मौसम में उगायी जाने वाली फसलों की खेती को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 13.5. रबी महाभियान में बागवानी फसलों विशेषकर सब्जियों जैसे फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, परवल, लत्तेदार सब्जी आदि के जैविक विधि से उत्पादन पर किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ चयनित किसानों को बागवानी की योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।

- 13.6. इस कार्यक्रम से किसानों को धान्य फसलों, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्के पालन, जैविक खेती, एवं मशरूम उत्पादन से संबंधित कठिनाइयों का निराकरण प्रखंड स्तर पर वैज्ञानिकों तथा कृषि एवं संबद्ध विभागों के प्रसार पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। कृषि एवं संबद्ध विभागों के प्रसार कार्यकर्ताओं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य किया जायेगा।
- 13.7. कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी तथा योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भी प्राप्त किया जायेगा जिसे कृषि विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए किसानों द्वारा भरने में पदाधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसे बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने हेतु रणनीति भी तैयार की जायेगी एवं किसानों को आ रही कठिनाइयों को रेखांकित कर उनका निराकरण जिला स्तर पर किया जायेगा।
- 13.8. इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह का निर्माण करके किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा बाजारोन्मुखी उत्पादन को प्रेरित किया जायेगा।
- 13.9. स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली, वर्मी कम्पोस्ट, पॉली हाउस, कृषि यांत्रिकरण के ऑनलाईन आवेदन पत्र लक्ष्य के अनुसार यदि प्राप्त नहीं हुए हैं तो किसानों के बीच प्रचार-प्रसार करते हुए रबी महाभियान में ऑनलाईन आवेदन भराये जाने का कार्य किया जाएगा।
- 13.10. कृषि ऋण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बैंक के पदाधिकारियों तथा सहकारिता विभाग को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।
- 13.11. भूमि से संबंधित LPC किसानों को निर्गत कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से अनुरोध किया जाएगा।

14. कार्ययोजना

- 14.1 सभी जिला कृषि पदाधिकारी अपने अधिनस्त सभी पदाधिकारीयों को एक या दो प्रखंड आवंटित करेंगे एवं उनके द्वारा पूरे कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- 14.2. रबी महाभियान के अंतर्गत कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण शिविर का आयोजन निर्धारित तिथि को किया जाएगा।
- 14.3. प्रखंड रबी महाभियान में अधिक से अधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था आत्मा के माध्यम से की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार सभी समाचार पत्रों/पत्राचार/सोशल मिडिया आदि के माध्यम से कराया जायेगा।
- 14.4. कृषकों को कृषि एवं उद्यान से संबंधित किसानोपयोगी कार्यक्रम, जो सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं, का तकनीकी बुलेटिन/लीफलेट आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
- 14.5. योजनाओं संबंधित आलेख योजनाओं के नोडल पदाधिकारी एवं तकनीकी आलेख बिहार कृषि विश्वविद्यालय से डा० आर० एन० सिंह सह निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय उपनिदेशक (शाष्य) सूचना को उपलब्ध कराएंगे।

8

- 14.6. जिलों से संबंधित प्रखण्डों के कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र/डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक को लाने के लिए वाहन की व्यवस्था परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 14.7. रबी महाभियान में हर स्तर पर फसल विविधिकरण की चर्चा की जाएगी तथा इसके कार्यान्वयन पर बल दिया जाएगा। इसके लिए मो० ईस्माइल, नोडल पदाधिकारी, फसल विविधिकरण एक मॉडल पी०पी०टी० तैयार कर सभी को प्रेषित करेंगे।
- 14.8. कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वरीय वैज्ञानिक—सह—प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र उन्हें प्राधिकृत करते हुए स्वयं भी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकटवर्ती कॉलेजों/अनुसंधान केन्द्रों से वैज्ञानिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संबंधित निदेशक प्रसार शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय जिलावार वैज्ञानिकों की समेकित सूची निर्गत करेंगे।
- 14.9. सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (IPM) के बारे में कृषकों को प्रशिक्षित करेंगे।
- 14.10. प्रत्येक प्रखण्ड में रबी महाभियान—2023 में किसानों के हित में चलाये जा रहे हैं कार्यक्रमों का प्रचार—प्रसार हेतु बैनर, पोस्टर एवं प्रखण्ड में उपलब्ध कराए गए पिको प्रोजेक्टर के माध्यम से भी प्रचार—प्रसार का कार्य किया जाएगा।
- 14.11. फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई एक महत्वपूर्ण श्रोत है। प्रखण्ड स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई के आवेदन को ऑनलाईन (Online) किया जायेगा। प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान इस कार्य में समन्वय करेंगे।
- 14.12. परियोजना निदेशक (आत्मा) रबी महाभियान—2023 में LED युक्त प्रचार रथों को सुसज्जित कर निर्धारित तिथि को बामेती, पटना में भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- 14.13. कृषि एवं कृषि संबद्ध प्रक्षेत्र में नवाचार/प्रगतिशील कृषकों की सफलता की कहानी एवं विभिन्न विषय पर तकनीकी सी.डी. भी कृषकों को दिखायी जायेगी। कार्यक्रम में LED युक्त प्रचार रथों का उपयोग किया जायेगा तथा आत्मा/बामेती द्वारा निर्मित लघु वृत्त चित्र किसानों के बीच पीको प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाई जायेगी।
- 14.14. उप निदेशक (शाष्य) सूचना कार्यक्रम के पूर्व सभी समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम का विज्ञापन प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. प्रखण्ड स्तरीय टीम का गठन

प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु समन्वय के लिए टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है—

- डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय/राज्य कृषि महाविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
- प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (संयोजक)
- प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी
- प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक

- कृषि समन्वयक
- सहायक तकनीकी प्रबंधक
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी / निरीक्षक
- पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक
- प्रगतिशील कृषक
- अन्य पदाधिकारी

टीम के कार्य

- प्रखण्ड स्तरीय टीम द्वारा प्रखण्ड में जाकर कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं तथा कृषि साख से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रस्तावित कार्य योजना के सभी कार्य संपादित कराना।

अनुश्रवण

- कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य स्तर पर सचिव, कृषि, बिहार, पटना की देख-रेख में निदेशक, कृषि / निदेशक, उद्यान / अपर निदेशक (शाष्य) / निदेशक, भूमि संरक्षण / निदेशक, बामेती द्वारा किया जाएगा तथा प्रगति प्रतिवेदन से सचिव, कृषि, बिहार, पटना को अवगत कराया जाएगा।
- प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त की देख-रेख में प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य) द्वारा इस कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा।
- जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का अनुश्रवण संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का अनुश्रवण संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के देख-रेख में इस कार्यक्रम का अनुश्रवण प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- कार्यक्रम आयोजन की जवाबदेही संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा एवं उप परियोजना निदेशक, आत्मा की होगी।

16. रबी महाभियान 2023 के आयोजन पर संभावित व्यय राज्य योजना मद से किये जाएंगे

17. रबी महाभियान 2023 के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु विभिन्न स्तर पर समितियों का गठन कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु समितियों का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है—

प्रखण्ड स्तरीय टीम का गठन

- | | |
|--|--------------|
| ● प्रखण्ड विकास पदाधिकारी | — अध्यक्ष |
| ● अध्यक्ष, प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति | — सदस्य |
| ● प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक के सदस्यगण | — सदस्य |
| ● प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति (BFAC) के सदस्यगण | — सदस्य |
| ● प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी | — सदस्य |
| ● प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी | — सदस्य |
| ● प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी—सह—संयोजक प्रखण्ड तकनीकी दल | — सदस्य सचिव |

जिला स्तरीय

- जिला पदाधिकारी
- उप विकास आयुक्त
- आत्मा प्रबंधन समिति एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्य गण
- जिला कृषि पदाधिकारी
- जिला सहकारिता पदाधिकारी
- परियोजना निदेशक, आत्मा
- उप परियोजना निदेशक आत्मा
- सहायक निदेशक उद्यान
- सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण
- सहायक निदेशक रसायन
- सहायक निदेशक पौध संरक्षण
- अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- संयोजक
- सदस्य

प्रमंडल स्तरीय

- प्रमंडलीय आयुक्त
- प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी
- नाबार्ड/सहकारिता/मुख्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि
- संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियाँ
- प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य)
- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- संयोजक

राज्य स्तरीय

- सचिव कृषि
- निदेशक कृषि
- निदेशक उद्यान
- अपर निदेशक (शाष्य)
- निदेशक भूमि संरक्षण
- निदेशक, बामेती
- निदेशक पी०पी०एम०
- संयुक्त निदेशक (शाष्य) योजना
- संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)
- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- संयोजक
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

8

रबी महाभियान 2023 में राज्य/जिला/प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्व

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्यों का निष्पादन
राज्य		
1.	सचिव कृषि/निदेशक कृषि/निदेशक उद्यान/निदेशक पी०पी०एम०/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक बामेती	<p>1. यथासंभव रबी महाभियान 2023 में भाग लेंगे जिससे अभियान में भाग लेने वाले किसानों के साथ-साथ प्रसार पदाधिकारियों/कर्मियों एवं वैज्ञानिकों का उत्साहवर्द्धन हो सकेगा।</p> <p>2. रबी महाभियान 2023 की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण।</p>
2.	कृषि विभाग द्वारा योजना के प्रभारी नोडल पदाधिकारी	<p>1. पूरे कार्यक्रम का समन्वय करेंगे।</p> <p>2. रबी महाभियान 2023 के लिए प्रखंडों में तेलहन, दलहन, मक्का और बागवानी फसलों तथा गेहूँ फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>3. यथासंभव प्रखंडों में आयोजित रबी महाभियान में भाग लेंगे। प्रतिदिन गठित कोषांग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जायेंगे जिसे समेकित प्रतिवेदन तैयार कर गठित कोषांग के द्वारा सचिव, कृषि/निदेशक कृषि को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके।</p> <p>4. अपनी योजना से संबंधित आलेख (WRITE UP) उप निदेशक (शाष्य) सूचना को उपलब्ध करायेंगे ताकि उनके द्वारा सचिव, कृषि/निदेशक कृषि को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके।</p>
प्रमंडल		
3.	प्रमंडलीय आयुक्त	1. प्रमंडलीय आयुक्त अपने प्रमंडल में इस अभियान की तैयारी एवं कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेंगे।
4.	प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य)	<p>1. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक अपने प्रमंडल अंतर्गत जिले एवं प्रखंड स्तर पर सभी तरह के तैयारियों की समीक्षा दिनांक 03.10.2023 तक बैठक कर सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>2. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, यह सुनिश्चित करेंगे कि लक्ष्यों का बंटवारा अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक कर लिया गया है।</p> <p>3. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक अपने प्रमंडल अंतर्गत जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण-सह-उपादान वितरण शिविर में भाग लेंगे।</p> <p>4. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य) प्रमंडल में रबी महाभियान 2023 का पर्यवेक्षण करेंगे तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कार्यान्वयन एजेन्सियों को सहयोग देंगे।</p> <p>5. कार्यक्रम क्रियान्वयन में किसी प्रकार की असुविधा होने पर निदेशालय तथा विभाग को दूरभाष/ई-मेल से सूचित करेंगे।</p> <p>6. अपने क्षेत्राधीन जिलों में आयोजित होने वाले शिविर में उपादानों के मूल्य समरूपता एवं न्यूनतम मूल्य रखने हेतु प्रयास करेंगे।</p>
जिला		
5.	जिला पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी अपने जिला में इस अभियान की तैयारी एवं कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेंगे।

8

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्यों का निष्पादन
6.	जिला कृषि पदाधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> संपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेवार होंगे। रबी महाभियान 2023 के लिए प्रखंडों में गेहूँ तेलहन, दलहन, मक्का, सब्जी एवं अन्य रबी फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडलवार, प्रखंडवार एवं पंचायतवार कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण सुनिश्चित करना। रबी महाभियान 2023 का जिले में वृहद प्रचार-प्रसार करेंगे। बीज वितरण/प्रत्यक्षण हेतु कृषि समन्वयक को अलग-अलग पंजी उपलब्ध करायेंगे। उक्त पंजियों में किसानों की सूचनायें निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अंकित की जाएंगी। कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना एवं अन्य योजनाओं के लक्ष्य के अनुसार कृषकों का चयन करेंगे। राज्य स्तर से प्राप्त प्रचार सामग्रियों को जिला स्तर से भी आवश्यक मात्रा में मुद्रित कराकर कृषकों के बीच वितरण सुनिश्चित करेंगे।
7.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे एवं इसका वृहत प्रचार-प्रसार करेंगे।
8.	जिला लीड बैंक प्रबंधक	<ol style="list-style-type: none"> किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना। जिला के सभी बैंकों से संबंधित किसानों (किसान क्रेडिट कार्ड) से लंबित आवेदन का त्वरित निष्पादन करेंगे तथा किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन का भी निष्पादन करेंगे।
9.	सहायक निदेशक उद्यान	<ol style="list-style-type: none"> रबी महाभियान 2023 के दौरान समय के अनुसार अनुशंसित फलों एवं सब्जियों के पौध सामग्री/बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। रबी महाभियान 2023 के पूर्व जिलावार बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के उपादानों (पौध सामग्री, बीज, स्प्रिंकलर सेट, ड्रीप सिंचाई प्रणाली, पॉली हाउस आदि) ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कराये जायेगा। बागवानी के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका तथा संबंधित साहित्य महोत्सव के दौरान किसानों को उपलब्ध करायेंगे। प्रखंडवार, कार्यक्रमवार लक्ष्य का निर्धारण। अपने आवंटित प्रखंडों के रबी कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं सतत पर्यवेक्षण करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
10.	वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र	<ol style="list-style-type: none"> रबी महाभियान 2023 में रबी की फसलों तथा बागवानी से संबंधित तकनीकी जानकारी महाभियान के दौरान किसानों को देंगे। डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय से महाभियान के लिए प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों से अभियान के पूर्व समन्वय करेंगे। प्रतिनियुक्त वैज्ञानिकों को जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्यक्रमों की जानकारी तथा संबंधित पाठ्यसामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। रबी अभियान के लिए प्रखंडवार तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्त करेंगे।

8

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्यों का निष्पादन
11.	परियोजना निदेशक, आत्मा	<ol style="list-style-type: none"> प्रचार रथों को सही समय पर मुख्यालय पहुँचवाना सुनिश्चित करेंगे। राज्य स्तर से प्राप्त प्रचार सामग्रियों को जिला स्तर से भी आवश्यक मात्रा में मुद्रित कराकर कृषकों के बीच वितरण सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण को सफल बनाने हेतु प्रखंडवार एवं तिथिवार पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों की सूची के अनुसार जिले में होनेवाले कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा। प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण को सफल बनाने हेतु प्रखंडवार एवं तिथिवार पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों को कार्यक्रम में भाग लिए जाने के लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। रबी महाभियान 2023 से संबंधित रूप रेखा की एक प्रति सभी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंडों में लगने वाले अभियान के लिए रबी महाभियान रथ तथा आवश्यक तकनीकी पुस्तिका पर्याप्त मात्रा में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अपने आवंटित प्रखंडों के रबी कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं सतत् पर्यवेक्षण करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
12.	उप परियोजना निदेशक, आत्मा	<ol style="list-style-type: none"> प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण को सफल बनाने हेतु प्रखंडवार एवं तिथिवार पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों की सूची तैयार करते हुए परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी एक प्रति निदेशक कृषि, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। रबी महाभियान 2023 से संबंधित रूप रेखा की एक प्रति सभी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कृषक हित समूह/खाद्य सुरक्षा समूह/कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रखंडों में लगने वाले अभियान के लिए रबी महाभियान रथ तथा आवश्यक तकनीकी पुस्तिका पर्याप्त मात्रा में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला/प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर रबी महाभियान में होने वाले कार्यक्रमों का सफल करने हेतु प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। तैयार किए गए प्रतिवेदन संबंधित कोषांग को उपलब्ध कराया जायेगा। रबी किसान चौपाल का पंचायतों में यथा निर्देशित आयोजन सुनिश्चित करेंगे। प्रखंडों में पिको प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करेंगे। प्रचार रथों का रूट चार्ट बनाएगे। अपने आवंटित प्रखंडों के रबी कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं सतत् पर्यवेक्षण करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
13.	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	<ol style="list-style-type: none"> रबी महाभियान 2023 में शामिल किसानों को फसलों में बीज उपचार एवं समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के महत्व की जानकारी देंगे एवं सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अपने आवंटित प्रखंडों के रबी कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं सतत् पर्यवेक्षण करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

14.	सहायक निदेशक, रसायन	<ol style="list-style-type: none"> रबी महाभियान 2023 में आयोजित होने वाले किसान चौपाल कार्यक्रम में किसानों को मिट्टी जाँच एवं स्वायत्ल हेत्थ कार्ड कम—से—कम 30—35 किसान प्रति पंचायत के बीच वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्ड में आयोजित होने वाले रबी कर्मशाला—सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। अपने आवंटित प्रखंडों के रबी कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं सतत् पर्यवेक्षण करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
15	सहायक निदेशक, कृषि अभियंत्रण	<ol style="list-style-type: none"> रबी महाभियान 2023 में आयोजित होने वाले पंचायत स्तरीय किसान चौपाल कार्यक्रम में कम—से—कम 20 किसानों को कृषि यंत्र का स्वीकृति पत्र वितरण किया जायेगा। प्रखण्ड में आयोजित होने वाले रबी कर्मशाला—सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जायेगा एवं कृषि यांत्रिकरण, कस्टम हायरिंग तथा फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के संबंध जानकारी देंगे। अपने आवंटित प्रखंडों के रबी कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं सतत् पर्यवेक्षण करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी		
16.	अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> अनुमण्डल स्तर पर होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे। रबी महाभियान 2023 के लिए प्रखंडों में गेहूँ तेलहन, दलहन, मक्का, सब्जी एवं अन्य रबी फसलों से संबंधित सभी उपादान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। रबी महाभियान 2023 का अनुमण्डल स्तर पर प्रखण्डों में वृहत रूप से प्रचार—प्रसार करेंगे। कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना एवं अन्य योजनाओं के लक्ष्य के अनुसार कृषकों को लाभांवित कराये जाने के लिए प्रचार—प्रसार करेंगे। अपने आवंटित प्रखंडों के रबी कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं सतत् पर्यवेक्षण करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।
प्रखण्ड		
17.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रखण्ड अन्तर्गत रबी महाभियान 2023 तथा उपादान वितरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
18.	अंचल पदाधिकारी	रबी अभियान के दौरान किसानों को LPC उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमांक	पदाधिकारी	कार्यों का निष्पादन
19.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण शिविर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न योजनाओं अंतर्गत प्रखंडों के लिए निर्धारित लक्ष्यों यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि उपादानों का वितरण, प्रत्यक्षण, यांत्रीकरण आदि हेतु कृषि समन्वयक के माध्यम से किसानों का चयन कर अभियान से पूर्व सूची तैयार करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड के लिए निर्धारित संकर मक्का बीज, तेलहन, दलहन के अनुज्ञाप्ति प्राप्त बीज विक्रेता को रबी अभियान में प्रभेद वार बीज की व्यवस्था के साथ भाग लेने हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार गेहूँ के प्रत्यक्षण हेतु चयनित किसान को बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती एवं अन्य योजनाओं के लिए चयनित किसानों को बीज क्रय के लिए अनुदान की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना तथा बीज ग्राम योजना अंतर्गत आवश्यक बीज की उपलब्धता तथा महाभियान के दौरान चयनित किसानों को बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यांत्रिकरण योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, इत्यादि के लिए प्राप्त लक्ष्य के अनुसार कृषकों से DBT पर आवेदन कराये जाने के लिए किसानों के बीच अधिक—से—अधिक प्रचार प्रसार करते हुए किसानों से आवेदन भराये जाने का कार्य करेंगे।
20.	प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी	बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जानकारी एवं सहकारिता विभाग से किसानों के लिए लाभप्रद योजनाओं की जानकारी के साथ—साथ प्राप्त आवेदन पत्रों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
21.	कृषि समन्वयक /प्रखंड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक	<ol style="list-style-type: none"> प्रखंड रबी महाभियान के आयोजन में प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सहयोग करेंगे। प्रशिक्षण—सह—उपादान वितरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिये प्रखंड स्तर के कृषि/संबद्ध विभाग के सभी पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करके उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। संबंधित पंचायतों में रबी अभियान का प्रचार—प्रसार एवं प्रखंड में आयोजित शिविर में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पंचायतवार चयनित किसानों की सूची के आधार पर किसानों को रबी अभियान में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>5. रबी महाभियान प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण—सह—कर्मशाला का आयोजन के दौरान तकनीकी सत्र में किसानों के साथ परिचर्चा में स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा किसानों के बीच अधिक—से—अधिक कृषि विभाग के द्वारा सभी महत्वकांक्षी योजना का प्रचार—प्रसार करने का कार्य करेंगे।</p> <p>6. रबी महाभियान कार्यक्रम में LED वाहन के माध्यम से प्रचार—प्रसार करेंगे।</p> <p>7. रबी किसान चौपाल कार्यक्रम प्रति पंचायतों में होने वाले कार्यक्रम में किसानों को भाग लिये जाने हेतु प्रचार—प्रसार करेंगे एवं स्वयं भी कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।</p> |
|--|--|--|

नोटः— इस कार्य योजना के अतिरिक्त समय—समय पर मुख्यालय एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन रबी महाभियान 2023 के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी स्तर के पदाधिकारी करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


कृषि निदेशक
बिहार, पटना




- रबी महाभियान प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण-सह-कर्मशाला का आयोजन के दौरान तकनीकी सत्र में किसानों के साथ परिचर्चा में स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा किसानों के बीच अधिक-से-अधिक कृषि विभाग के द्वारा सभी महत्वकांक्षी योजना का प्रचार-प्रसार करने का कार्य करेंगे।
- रबी महाभियान कार्यक्रम में LED वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करेंगे।
- रबी किसान चौपाल कार्यक्रम प्रति पंचायतों में होने वाले कार्यक्रम में किसानों को भाग लिये जाने हेतु प्रचार-प्रसार करेंगे एवं स्वयं भी कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

नोट:- इस कार्य योजना के अतिरिक्त समय-समय पर मुख्यालय एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन रबी महाभियान 2023 के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी स्तर के पदाधिकारी करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

 ज्ञापांक : 215 / बामेती / 2023-24 / 2600


प्रतिलिपि - सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक
बिहार, पटना
दिनांक 06/10/2023

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना
दिनांक 06/10/2023


ज्ञापांक : 215 / बामेती / 2023-24 / 2600

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शास्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/उप निदेशक/भूमि संरक्षण/पौधा संरक्षण/उद्यान/कृषि अभियंत्रण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक
बामेती, बिहार, पटना
दिनांक 06/10/2023


ज्ञापांक : 215 / बामेती / 2023-24 / 2600

प्रतिलिपि - निदेशक प्रसार शिक्षा, डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/ निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ निदेशक प्रसार शिक्षा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक
बामेती, बिहार, पटना
दिनांक - 06/10/2023


ज्ञापांक : 215 / बामेती / 2023-24 / 2600

प्रतिलिपि - उप निदेशक (शास्य) सूचना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी संबंधितों को संसूचित किया जाए।


निदेशक
बामेती, बिहार, पटना
दिनांक 06/10/2023

ज्ञापांक : 215 / बामेती / 2023-24 / 2600

प्रतिलिपि - माननीय कृषि मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, कृषि बिहार के आप्त सचिव/कृषि निदेशक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा योजना/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग/निदेशक उद्यान/प्रबंध निदेशक बी0आर0बी0एन0/अपर निदेशक (शास्य)/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी0पी0एम0/निदेशक, बसोका को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

Chak
06/10/2023